UDAAN

cgtmse

प्रेस विज्ञप्ति / Press Release **अगस्त / August 25, 2020**

सीजीटीएमएसई ने पात्र उद्यमियों और संस्थाओं तक ऋण गारंटी योजना की पहुंच का विस्तार करने के लिए उड़ान पोर्टल का अनावरण किया

CGTMSE launches Udaan portal to increase the reach of Credit Guarantee Scheme to eligible entrepreneurs and entities

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की सहयोगी संस्था, सूक्ष्म एवं लघु उद्यम ऋण गारंटी निधि ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई) ने पात्र उद्यमियों / संस्थाओं तक ऋण गारंटी योजना (सीजीएस) की पहुँच का विस्तार करने के लिए उड़ान पोर्टल का अनावरण किया है।

Credit Guarantee Fund Trust for Micro and Small Enterprises (CGTMSE), an associate of Small Industries Development Bank of India (SIDBI) has launched the Udaan portal to increase the reach of Credit Guarantee Scheme (CGS) to the eligible entrepreneurs/entities.

उड़ान पोर्टल उन सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (MSE) की सुविधा के लिए बना एक डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म है जो संपार्श्विक प्रतिभूति मुक्त ऋण के लिए आवेदन करने के इच्छुक है, जिसमें अपने पसंदीदा बैंकों / गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) से संपार्श्विक मुक्त ऋण प्राप्त करने के लिए यह पोर्टल एक तत्कालिक गारंटी प्रमाणपत्र देता है। इस पोर्टल का मुख्य उद्देश्य भारत के वित्तीय पारितंत्र में ऋणप्रवाह को गति प्रदान करना है।

Udaan portal is a digital platform for Micro and Small Enterprises (MSEs) looking forward to applying for collateral free loans wherein the portal gives Provisional Guarantee Certificate to avail collateral free loans from their preferred Banks / Non-Banking Financial Companies (NBFCs). The portal's main objective is to provide impetus to credit in financial ecosystem of India.

सिडबी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक श्री मोहम्मद मुस्तफा, आईएएस, ने आज एक वेब-आधारित कार्यक्रम में उड़ान पोर्टल का अनावरण किया। इस कार्यक्रम में 40 से अधिक ऋणदाता संस्थानों ने भाग लिया। सीजीटीएमएसई को यह बताते हुए हर्ष की अनुभूति हो रही है कि

उड़ान पोर्टल पर शामिल होने के लिए एमएलआई द्वारा कोई प्रारंभिक शुल्क / भुगतान नहीं लिया जाएगा।

Shri Mohammad Mustafa, IAS, Chairman and Managing Director, SIDBI, launched the Udaan portal today in a web-based program which was attended by more than 40 Lending Institutions. CGTMSE is delighted to share that there shall be no upfront fees/payment to be made by MLIs for getting onboarded on 'Udaan' portal.

इस अवसर पर बोलते हुए, श्री मुस्तफा ने कहा, "गारंटी मूल रूप से एक अंतिम भाग में प्रदान किया जाने वाला उत्पाद है क्योंकि ऋण की मंजूरी के बाद गारंटी जारी की जाती है। हम इसे बदलकर एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना चाहते थे, जिसके तहत उद्यमी विभिन्न प्राथमिक ऋणदाता संस्थाओं के गारंटी-आधारित ऋण उत्पादों को अपनी अनुकूलता के अनुरूप चयन कर सके। सीजीटीएमएसई पात्र उधारकर्ताओं के चयन पर कतिपय मूल्यवर्धन करता है और फिर प्रोविजनल गारंटी के साथ उद्यमियों को वित्तीय सहायता के लिए बैंकों / एनबीएफसी को भेजता है।"

Speaking of the occasion, Shri Mustafa said, "Guarantee basically has been a back-ended product as guarantee is issued after sanction of loan. We wanted to change it by creating a platform whereby entrepreneurs see their suitability for guarantee-based loan products from various MLIs. CGTMSE does some value addition on the selection of eligible borrowers and then send the entrepreneurs to banks / NBFCs for financial assistance with the provisional guarantee."

श्री मुस्तफा ने विश्वास व्यक्त किया कि यह एक गेम चेंजर हो सकता है क्योंकि यह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कोरिया, मलेशिया, संयुक्त राज्य अमेरिका आदि देशों में कार्य कर रहा है। उन्होंने सभी एमएलआई से पोर्टल को लोकप्रिय बनाने का भी आहवान किया क्योंकि पोर्टल पर उद्यमियों के कवरेज को बढ़ाना अंततः उनके ही हाथ में है। श्री मुस्तफा ने जोर दिया कि इस कोविड-19 के युग में उद्यमियों की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने तथा ऋणदाताओं तक पहुंचने में मदद करने के लिए यह एक बहुत अच्छा साधन है।

Shri Mustafa expressed confidence that this could be a game changer as it has been internationally in the countries like Korea, Malaysia, United States of America etc. He also called upon all the MLIs to popularize the portal as ultimately it is in their hands to increase coverage of entrepreneurs coming out of the portal. Shri Mustafa emphasized that specially in the COVID-19 era, this is a very good tool to help and equip entrepreneurs to reach out to lenders to meet their financial needs.

ऋण देने का निर्णय करने के लिए एमएलआई द्वारा अपेक्षित अधिकांश क्रमवार डेटा उड़ान पोर्टल के माध्यम से प्राप्त हो जाता है और शीघ्र कार्य निपटान समय (TAT) हेतु और त्वरित मंजूरी के लिए बैंकों को प्रेषित कर दिया जाता है। एमएलआई को उनकी आंतरिक ऋण नीतियों के अनुसार कई उत्पादों के सृजन का विकल्प प्रदान किया जाता है। इन उत्पादों के निर्माण पर, पोर्टल स्वचालित रूप से बैकएंड से मेल करेगा और चयन किए गए ऐसे लीड एमएलआई को देगा जो उनके उत्पादों के मापदंडों से मेल खाते हैं।

Majority of the data required by MLI for credit decisioning are collated through Udaan portal and sent across to banks for faster turn-around time (TAT) and quick sanctions. MLIs are provided with an option to create multiple products, in accordance with their internal credit policies. Upon creation of these products, portal shall automatically do the match making at the back end and provide MLI with the filtered leads matching their products parameters.

उड़ान पोर्टल ने अब तक 35 सदस्य ऋणदाता संस्थाओं (एमएलआई) को शामिल कर लिया है जो इस पोर्टल का ऐतिहासिक हिस्सा बनने जा रहे हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, निजी क्षेत्र के बैंकों और एनबीएफसी की इस विस्तृत सूची के साथ आवेदक के पास सीजीटीएमएसई की गारंटी द्वारा समर्थित ऋण प्राप्त करने के अनेक विकल्प होंगे। डिजिटल प्रक्रिया होने के कारण, एमएलआई के पास बिना किसी भौतिक हस्तक्षेप के आवेदक द्वारा चुने गए डेटा का निर्बाध प्रवाह उपलब्ध होगा। इस यात्रा में उधारकर्ता लॉगइन करेंगे, अपनी सहमति के आधार पर जानकारी प्रस्तुत करेंगे और उनकी पात्रता के आधार पर एक तत्कालिक गारंटी प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा और आवेदन को आवेदक द्वारा चयनित एमएलआई को हस्तांतरित किया जाएगा। इसके पश्चात एमएलआई, ऋण की मंजूरी पर अंतिम निर्णय लेने के लिए समुचित सावधानी का निर्वाह करेंगे।

The ‘Udaan’ portal has already onboarded 35 MLIs who are going to be part of this milestone portal. With such an exhaustive list of public sector banks, private sector banks and NBFCs, applicant shall have varied option to avail credit backed by CGTMSE’s guarantee. Being a digital journey, there shall be a seamless flow of data to MLI selected by applicant without any physical intervention. The journey where borrowers shall login, submit their consent-based details and based on their eligibility, a Provisional Guarantee Certificate will be issued, and the application would be transferred to the MLIs selected by applicant. MLI may thereafter carry out their due-diligence process for final decision on sanction of loan.

सीजीटीएमएसई के बारे में : सीजीटीएमएसई भारत सरकार और सिडबी द्वारा वर्ष 2000 में स्थापित एक ट्रस्ट है जो एमएसई इकाइयों को सदस्य ऋणदात्री संस्थाओं द्वारा बिना संपार्श्विक / आंशिक प्रतिभूति, अन्य पक्ष गारंटी के ₹ 2 करोड तक की दी गई ऋण सुविधाओं के संबंध में क्रेडिट गारंटी योजनाओं का परिचालन करता है। अधिक जानकारी हेतु कृपया https://www.cgtmse.in/ पर जाएँ।

About CGTMSE: CGTMSE is a trust set up by Government of India and SIDBI in the year 2000 and operates the CGS for MSEs in respect of credit facilities up to ₹ 2 crore extended by its Member Lending Institutions (MLIs), which are not backed/ partially backed by collateral security and / or third-party guarantees. For more information, please visit: https://www.cgtmse.in/

सिडबी के बारे में : 1990 में अपने गठन के बाद से, सिडबी अपने एकीकृत, अभिनव और समावेशी दृष्टिकोण के माध्यम से समाज के विभिन्न वर्गों के नागरिकों के जीवन को प्रभावित कर रहा है। चाहे वे पारंपरिक, छोटे घरेलू उद्यमी हों, पिरामिड के सबसे निचले स्तर के उद्यमी हों, या फिर उच्च-

स्तरीय ज्ञान आधारित उद्यमी हों, सिडबी ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (एमएसई) के जीवन को विभिन्न ऋणों तथा विकास कार्यों के माध्यम से प्रभावित किया है।

अधिक जानने के लिए, देखें : https://www.sidbi.in

About SIDBI: Since its formation in 1990, SIDBI has been impacting the lives of citizens across various strata of the society through its integrated, innovative and inclusive approach. Be it traditional, domestic small entrepreneurs, bottom-of-the-pyramid entrepreneurs, to high-end knowledge-based entrepreneurs, SIDBI has directly or indirectly touched the lives of Micro and Small Enterprises (MSEs) through various credit and developmental engagements.

To know more, check out: https://www.sidbi.in

मीडिया संपर्क: नीलाश्री बर्मन, मोबाइल: **+**91 8879760249, ई मेल: neelasrib@sidbi.in
Media contact: Neelasri Barman, Mobile: +91 8879760249, E-mail: neelasrib@sidbi.in